उत्तर मध्य रेलवे

महाप्रबंधक कार्यालय
राजभाषा विभाग
प्रयागराज

पत्र सं. : उ.म.रे./रा.भा.13/मौ.पु.ले./लाल बहादुर शास्त्री पुर.योजना दिनांक : 17.04.2025

अपर महाप्रबंधक, प्रधान वित्त सलाहकार, प्रधान मुख्य इंजीनियर, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक, प्रधान मुख्य बिजली इंजीनियर, प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक, प्रधान मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर, प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मुख्य प्रबंधक/सू.प्रौ., उप महाप्रबंधक/सामान्य, सचिव/महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, प्रधान कार्यालय, प्रयागराज
मंडल रेल प्रबंधक- प्रयागराज, झाँसी, आगरा
मुख्य कारखाना प्रबंधक - झाँसी, सिथौली, सीएमएलआर झाँसी, रेल कोच नवीनीकरण कारखाना, झाँसी

विषय : तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए "लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना" (आधार वर्ष-2024)

संदर्भ : रेलवे बोर्ड का पत्र सं. हिंदी-2025/प्रशि.-7/5 दिनांक 15.04.2025.

रेलवे बोर्ड ने रेलों से संबंधित तकनीकी विषयों पर मूलरूप से हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उपर्युक्त योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष निम्नलिखित तीन पुरस्कार दिए जाने की व्यवस्था है :-

1.	प्रथम पुरस्कार (एक)	रु. 20,000/-
2.	द्वितीय पुरस्कार (एक)	रु. 10,000/-
3	तृतीय पुरस्कार (एक)	रु. 7,000/-

इस योजना की मुख्य-मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं :-

1. इस योजना में रेलों के सेवारत और सेवानिवृत्तकर्मी भाग ले सकते हैं।

2. प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त पुस्तकों की 30-30 प्रतियाँ प्रत्येक रेलवे द्वारा तथा 10-10 प्रतियाँ प्रत्येक उत्पादन इकाइयों द्वारा हिंदी पुस्तकालयों के लिए खरीदे जाने की परिपाटी है। इन पुस्तकों की खरीद पर धनराशि की व्यवस्था रेल प्रशासनों द्वारा पुस्तकालयों के लिए आबंटित बजट राशि से की जाएगी।

3. पुस्तक लेखक की पूर्णतः मौलिक कृति होनी चाहिए। किसी अन्य भाषा से ली गई, अनूदित/ संपादित अथवा इंटरनेट से डाउनलोड/कॉपी की गई पुस्तक पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. जिस मौलिक पुस्तक को इस पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया जाए, वह पुस्तक पुरस्कार वर्ष (आधार वर्ष) से पिछले तीन वर्षों में लिखी गई (टंकित प्रति) हो अथवा प्रकाशित हुई होनी चाहिए।

   उदाहरणार्थ : यदि आधार वर्ष 2024 के लिए प्रविष्टियां माँगी गई हैं, तो इस योजना में पुस्तक भेजने के लिए उसका लेखन कार्य अथवा प्रकाशन कार्य 01.01.2022 से 31.12.2024 के बीच पूरा हुआ होना चाहिए, तभी इसे स्वीकार किया जाएगा।

5. पुस्तक का विषय **रेल संचालन या रेल प्रबंधन** से संबंधित होना चाहिए।

6. पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुस्तकों का चयन एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा और निदेशक (राजभाषा), रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) समिति के सदस्य सचिव होंगे।

7. जिन पुस्तकों को इस पुरस्कार योजना के लिए पहले प्रस्तुत किया जा चुका हो, उन्हें दोबारा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

8. जिन पुस्तकों को भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश के प्रशासन की किसी योजना के अधीन पुरस्कार दिया जा चुका हो, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।

9. इस वर्ष के लिए भेजी जाने वाली कृतियां/प्रविष्टियां **10 जून, 2025** तक इस कार्यालय में निरपवाद रूप से पहुँच जानी चाहिए। उसके बाद प्राप्त होने वाली कृतियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. पुरस्कृत की जाने वाली किसी एक कृति के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में, देय पुरस्कार की राशि, उनमें समान रूप से वितरित की जाएगी। लेकिन ऐसी प्रविष्टियों के साथ भेजे जाने वाले संयुक्त घोषणा प्रपत्र में संबंधित लेखकों के नाम एवं हस्ताक्षर होने चाहिए।

11. जिन लेखकों की पुस्तकों को इस पुरस्कार योजना में शामिल किया जाएगा, उनका अपनी पुस्तकों पर प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) बना रहेगा।

12. पुरस्कार प्रदान किए जाने या पुरस्कार के लिए पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।

13. लेखक को अपनी पुस्तक/कृति की 3 मुद्रित अथवा 3 टंकित प्रतियाँ भेजने के साथ-साथ बोर्ड द्वारा निर्धारित संलग्न प्रपत्र में अपेक्षित जानकारी और घोषणा पत्र भरकर इस कार्यालय को भेजना होगा।

14. एक लेखक इस पुरस्कार योजना के लिए केवल एक ही प्रविष्टि भेज सकता है।

15. इस योजना से संबंधित सभी मामलों पर रेल मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा।

16. इस योजना के अंतर्गत पुरस्कृत पुस्तकों/टंकित प्रतियों का प्रकाशन से पूर्व भाषागत आशोधन (प्रूफ रीडिंग) किया जाना अपेक्षित है, ताकि व्याकरण संबंधी कोई अशुद्धि न रहे।

17. पुस्तक सामान्यत: 100 पृष्ठ से कम नहीं होनी चाहिए, तथापि इससे छोटी पुस्तकों पर निर्णायक मंडल अपने विवेकानुसार विचार कर सकता है।

अनुरोध है कि इस योजना का अपने-अपने कार्यालयों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिकाधिक अधिकारी/कर्मचारी तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में पुस्तकें लिखने के लिए प्रेरित हों।

तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए "लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना (आधार वर्ष-2024)" के लिए इस कार्यालय में प्रविष्टि भेजने की अंतिम तारीख 10.06.2025 है।

संलग्न : यथोक्त

17/04/25

(चन्द्र भूषण पाण्डेय)
वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी
कृते महाप्रबंधक (राजभाषा)

प्रोफार्मा

तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना (आधार वर्ष - 2024)

1. (क) लेखक का नाम – (i) हिंदी में :

(ii) अंग्रेजी में :

(ख) पदनाम :

(ग) कार्यालय का नाम और पता :

2. पुस्तक का नाम :
3. पुस्तक का विषय :
4. प्रकाशक का नाम व पता (यदि कोई हो) :
5. पुस्तक लिखने का कार्य पूरा करने की तारीख (माह-वर्ष) :
6. पृष्ठों की संख्या :

घोषणा-पत्र

मैं एतदद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि यह पुस्तक मेरी मौलिक रचना है और इसे किसी अन्य पुरस्कार योजना के अंतर्गत या उपर्युक्त योजना के अंतर्गत पहले कभी पुरस्कृत नहीं किया गया है। यह पुस्तक पुरस्कार वर्ष से पिछले तीन वर्ष के दौरान पहली बार लिखी गई (टंकित प्रति) अथवा प्रकाशित की गई है और इससे किसी दूसरे के कॉपीराइट अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है।

लेखक के हस्ताक्षर :

पूरा नाम :
कार्यालय का पूरा पता :
रेलवे फोन नंबर :

दिनांक :
मोबाइल नंबर :

स्थान :
ई-मेल पता :
फैक्स नंबर :